न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1055/2020

अनवान : –

1. ओमसिंह पुत्र पीथासिंह जाति राजपुत निवासी नोहर तहसील नोहर–फौत

   1/1 मुन्नी देवी पत्नी ओमसिंह पुत्र पीथासिंह जाति राजपुत निवासी नोहर।

   1/2 पवन सिंह पुत्र ओमसिंह पुत्र पीथासिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।

   1/3 जसवन्तसिंह पुत्र ओमसिंह पुत्र पीथासिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।

   1/4 सलोचना पुत्री ओमसिंह पुत्र पीथासिंह जाति राजपुत निवासी नोहर तहसील नोहर।

2. बिदामी पत्नी अर्जूनसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. बीरबलसिंह पुत्र अर्जूनसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. कुलदीपसिंह पुत्र अर्जनसिह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. कमलसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. विजयसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. गुलाबकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सुदेश कंवर पुत्री राजेन्द्रसिंह पत्नी प्रेमसिंह पुत्र मंगतु सिंह साखला गांव भोजल तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. सरीता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह पत्नी हरबशसिंह पावर गोलुवाला तहसील पीलीबंगा।
6. मदनसिंह पुत्र शक्तसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. सन्तोश पुत्री शक्त पत्नी किशरसिंह साखला गांव मौकलसर तहसील सुरतगढ़।
8. दिनेश सिंह पुत्र करणीसिंह सोलकी निवासी वार्ड न0 38 गांधीनगर हनुमानगढ़ जक्शन।
9. दिपी पुत्री करणीसिंह पत्नी बजरंगसिंह चौहान गांव कुलड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
10. रेखा पुत्री करणीसिंह पत्नी सुदेशसिंह चौहान गांव कुलड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
11. प्रितमसिंह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. सन्दीप सिंह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. कलमेश पत्नी नत्थुसिंह जाति राजपूत [illegible] नोहर तहसील नोहर।
14. गुलब पुत्री शक्ति पत्नी [illegible] निवासी घिरेरा तहसील लुनकरणसर बीकानेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:49 IST
Reason: SelfAttested

– [illegible] प्रतिवादीगण

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

15. सुरेश सिंह पुत्र अर्जूनसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर हाल निवासी सैनी स्टेडियम के पास कृष्णा प्लाईवुड दुकान सं0 11/62 मध्यममार्ग के0एल0 सेनी स्टेडियम के पास जयपुर।
16. राधा कंवर पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी बनवारीसिंह बडगुजर गांव ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
17. सन्तोष कंवर पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी रामस्वरूप पड़ीहार गांव श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
18. पुनम कंवर पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी ओमसिंह पडीहार गांव श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **तरतीबी प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 22/8/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि साबिका ख0न0 190/1 में 14 बिघा 6 बिस्वा खाम भूमि पिथासिंह पुत्र हुक्मसिंह के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी। जिसकी मृतक पिथासिंह ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 10.12.1970 हो वादी ओमसिंह व अर्जुनसिंह के पक्ष में वसीयत तहरीर कर सब रजि0 नोहर से तस्दीक करवा दी थी। अर्जुनसिंह अब फौत हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण स0 2 से 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण स0 15 से 18 है।

बन्दोबस्त विभाग द्वारा मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029—2038 तैयार करते समय उक्त ख0न0 109/1 में 14 बीघा 6 बिस्वा खाम भूमि के नये खसरा न0 89 बनाकर रकबा पक्के बीघों में तब्दील कर 2.1620है0 बना दिया तथा यह भूमि ओमसिंह व अर्जूनसिंह के साथ में प्रतिवादी स0 1 स 14 के नाम से दर्ज कर दी जो कतई अनुचित दर्ज थी क्योंकि उक्त वाद भूमि औमसिंह व वादीगण स0 2 से 4 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण स0 15 से 18 के पिता अर्जुनसिंह की वसीयत शुदा थी जो मुताबिक वसीयत दिनांक 10.12.1970 इनके ही नाम से दर्ज की जानी चाहिए थी। अर्जुनसिंह फौत हो जाने के बाद जब वादीगण विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गये तो सैटलमेन्ट विभाग के उक्त गलत इन्द्राज का पता चला उक्त भूमि हमारी वसीयत शुदा भूमि है तथा वसीयतनामा भी वर्षो पुराना है इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक पूर्णतया विधिक है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि के संबंध में अपने काश्तकारी हकूक की घोषणा करवाकर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:49 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी दुरूस्त कर उक्त भूमि हमारी वसीयत शुदा होने के कारण हमारे नाम से दर्ज करवा देवे और अपना नाम

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हटवा लेवे तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे और आखिर इन्कार हो गये लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीगण अर्जुनसिंह के वारिस है तथा वरवक्त दावा दायरी बाहर गये हुऐ होने के कारण उन्हें तरतीबी प्रतिवादीगण बनाये गये है जो बाद में चाहे तो वादी भी बन सकते हैं तथा दावा में राजस्थान सरकार को महज पक्षकार बनाया गया है उसके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा की जावें की रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के ख0न 89 की 2.1620है0 भूमि में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी स0 1 का 1/2 हिस्सा व वादीगण स0 2 ता 4 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण स0 15 से 18, 1/2 हिस्सा भूमि बहिब दर्ज की जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन सम्यक तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 व 6 ता 18 न तो स्वयं उपस्थित और न ही उनकी ओर से कोई विधिक पेरोकार उपस्थित इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी स0 3 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार बैनीवाल ने वकालतनामा पेश किया। जवाब दावा देने हेतु अधिवक्ता प्रतिवादी को कई मौके दिये गये लेकिन दिनांक 26.07.2022 को विद्धान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने हिदायत पैरवी नही होना जाहिर किया इसलिए उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ओमसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसान को पक्षकारान बनाने हेतु अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र O22R4 सीपीसी पेश किया जो की अन्दर मियाद हाने के कारण स्वीकार किये जाने के उपरान्त संशोधित शिर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पवन सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति राजपूत एवं महेन्द्रसिंह पुत्र बाबुराम जाति दर्जी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया की पीथासिंह पुत्र हुकमसिंह जो की ओमसिंह व अर्जूनसिंह का पिता है। पिथासिंह द्वारा दिनांक 10.12.1970 को वसीयत करवाई थी उक्त वसीयत पर पीथासिंह द्वारा मेरे सामने अंगुठा लगाया गया था तथा उक्त वसीयत पर चानणसिंह व गोपालसिंह ने गवाह के रूप में मेरे सामने वसीयत पर अंगुठा व हस्ताक्षर किये थे जो की वसीयतकर्ता के सगे भाई है। शपथग्रहिता की पहचान श्री बीरबलसिंह द्वारा की गई। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी सबूत असल वसीयत दिनांक 10.12.70 ईएक्सपी–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 रोही मौजा चक राजासर खाता स0 204/199 ईएक्सपी–2, मिलान क्षेत्रफल चक राजासर ईएक्सपी–3, नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029–2038 ईएक्सपी–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2014 रोही मौजा चक राजासर प्रदर्श–5, मृत्यु प्रमाण पत्र ओमसिंह, सदस्य प्रमाण पत्र ओमसिंह आदि पेश किये।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र ... पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:49 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता पिथासिंह ने अपनी भूमि की दिनांक 10.12.1970 को सब रजिस्ट्रार नोहर से एक वसीयत रजिस्टर्ड करवाई थी। इस रजिस्टर्ड वसीयत में वसीयतकर्ता ने स्पष्ट लिखा है कि मेरे चार लड़के है जिसमें मैनें मेरे दो लड़को संगतसिंह व राजेन्द्र सिंह को पहले से ही घर व कृषि भूमि दे दी है, जो उनके नाम दर्ज है तथा यह भूमि अब में मेरे दो पुत्रों अर्जुनसिंह व ओमसिंह जो मेरे साथ रहते है मेरी सेवा करते है उनको देना चाहता हू तथा इसमें मेरे दुसरें पुत्र व पुत्रीयों का कोई हक हिस्सा नही होगा। उक्त वसीयत सन् 1970 में सब रजिस्ट्रार नोहर से रजिस्टर्ड करवाई थी जो अर्सा 30 वर्षो से अधिक पुरानी हो चुकी है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया की 30 वर्षो से अधिक पुराने दस्तावेजो को साक्ष्य में ग्रहण किया जावेंगा और उसकी सत्यता पर कोई शक नही किया जावेंगा। उक्त वसीयत के लेखक व गवाह फौत हो चुके है तथा बहस में यह भी कथन किया की वादीगण के पिता की सबसे पुराने रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2011 से 2014 प्रदर्श–5 पेश किया गया है उससे पूर्व का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है जो वादीगण के पिता के नाम से सही है जो की वाद भूमि को पिथासिंह की स्वअर्जित हेाना साबित करती है एवं वकील वादीगण ने बहस के दौरान ये भी कथन किया की उक्त के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा या उज्र एतराज पेश नही करना भी उनकी मौन सहमति मानी जावेगी। उक्त वसीयत के संबंध में महेन्द्र कुमार व पवन सिंह द्वारा भी शपथ पत्र पेश किया गया है। वादीगण ने बहस में अर्ज किया की वादीगण अपना दावा मौखिक व दस्तावेजी आधार पर पूर्ण रूप से साबित किया है इसलिए मुताबिक इस्तदुआ वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक राजासर खाता स0 204 / 199 की कुल 3.4200हैक् भूमि है, उक्त वाद भूमि के संबंध में पत्रावली में संलग्न वसीयत ईएक्सपी–1 से साबित होता है कि पिथासिंह पुत्र हुकमसिंह ने अपने पुत्रों ओमसिंह व अर्जनसिंह के नाम दिनांक 10.12.1970 को रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 109 / 1 की 14 बीघा 06 बिस्वा खाम भूमि की वसीयत सब रजिस्ट्रार कार्यालय नोहर से रजिस्टर्ड करवाई थी। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत पर बतौर गवाह चानणसिंह पुत्र हुकमसिंह व गोपालसिंह पुत्र हुकमसिंह के हस्ताक्षर है। वसीयत 30 वर्ष से अधिक पुरानी है। पत्रावली में कोई जवाब काफी मौका दिये जाने के बाद भी अंतिम मौका देने पर भी पेश नही किया और वकील प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20.07.2022 के द्वारा हिदायत पैरवी नही होना जाहिर किया है तथा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के संबंध में पवनसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति राजपूत उम्र 70 साल व महेन्द्र कुमार पुत्र बुधराम जाति दर्जी उम्र 70 साल द्वारा भी शपथ पत्र पेश किया गया है। वादीगण, वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं गवाहों के शपथ पत्र के आधार पर साबित होने से कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:49 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 89 की 2.1620 हैक्ट भूमि में कमलसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह, गुलाब कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह, विजय सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह व शम्त सिंह पुत्र पीथासिंह, सुदेश कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह, सरीताकंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह का नाम कलमजन कर उक्त भूमि का वादीगण स0 1/1 से 1/4 का बहिब 1/2 हिस्सा तथा वादीगण न0 2 से 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण न0 15 से 18 का बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/8/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1055 / 2020

अनवान : –

1. ओमसिंह पुत्र पीथासिंह जाति राजपुत निवासी नोहर तहसील नोहर–फौत

   1/1 मुन्नी देवी पत्नी ओमसिंह पुत्र पीथासिंह जाति राजपुत निवासी नोहर।

   1/2 पवन सिंह पुत्र ओमसिंह पुत्र पीथासिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।

   1/3 जसवन्तसिंह पुत्र ओमसिंह पुत्र पीथासिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।

   1/4 सलोचना पुत्री ओमसिंह पुत्र पीथासिंह जाति राजपुत निवासी नोहर तहसील नोहर।

2. बिदामी पत्नी अर्जूनसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. बीरबलसिंह पुत्र अर्जूनसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. कुलदीपसिंह पुत्र अर्जनसिह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. कमलसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. विजयसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. गुलाबकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सुदेश कंवर पुत्री राजेन्द्रसिंह पत्नी प्रेमसिंह पुत्र मंगतु सिंह साखला गांव भोजल तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. सरीता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह पत्नी हरबशसिंह पावर गोलुवाला तहसील पीलीबंगा।
6. मदनसिंह पुत्र शक्तसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. सन्तोश पुत्री शक्त पत्नी किशरसिंह साखला गांव मौकलसर तहसील सुरतगढ़।
8. दिनेश सिंह पुत्र करणीसिंह सोलकी निवासी वार्ड न0 38 गांधीनगर हनुमानगढ़ जक्शन।
9. दिपी पुत्री करणीसिंह पत्नी बजरंगसिंह चौहान गांव कुलड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
10. रेखा पुत्री करणीसिंह पत्नी सुदेशसिंह चौहान गांव कुलड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
11. प्रितमसिंह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. सन्दीप सिंह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. कलमेश पत्नी नत्थुसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. गुलब पुत्री शक्ति पत्नी लक्ष्मणसिंह साखला निवासी घिररा तहसील लुनकरणसर बीकानेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:49 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

— असल प्रतिवादीगण

15. सुरेश सिंह पुत्र अर्जूनसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर हाल निवासी सैनी स्टेडियम के पास कृष्णा प्लाईवुड दुकान सं0 11/62 मध्यममार्ग के0एल0 सेनी स्टेडियम के पास जयपुर।
16. राधा कंवर पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी बनवारीसिंह बडगुजर गांव ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
17. सन्तोष कंवर पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी रामस्वरूप पड़ीहार गांव श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
18. पुनम कंवर पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी ओमसिंह पडीहार गांव श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 758 सन 2022 निर्णय दिनांक...22/8/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 89 की 2.1620 हैक्ट भूमि में कमलसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह, गुलाब कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह, विजय सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह व शम्त सिंह पुत्र पीथासिंह, सुदेश कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह, सरीताकंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह का नाम कलमजन कर उक्त भूमि का वादीगण स0 1/1 से 1/4 का बहिब 1/2 हिस्सा तथा वादीगण न0 2 से 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण न0 15 से 18 को बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/8/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:49 IST
Reason: SelfAttested